2122048 / 24/12/2021

परिपत्र सं0/जी0एस0टी0 ऑडिट/2021–22/कम्प्यू0परि0सं0/237/वाणिज्य कर।
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 ऑडिट अनुभाग)

लखनऊः: दिनांकः: 24 दिसम्बर, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/
वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण)।
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संबन्ध में।

रिट टैक्स संख्या–1084/2021 रंजना सिंह बनाम कमिश्नर राज्य कर एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ इलाहाबाद द्वारा वादी का पंजीयन प्रार्थना पत्र, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध अस्वीकृत किये जाने पर अत्यंत कठोर निर्णय पारित किया गया है।

उक्त मामले में व्यापारी द्वारा अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं गृह/सम्पत्ति कर रसीद पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया गया था जबकि पंजीयन अधिकारी द्वारा विद्युत बिल की अपठनीय प्रति दाखिल किये जाने के कारण पंजीयन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया था।

उ0प्र0 जी0एस0टी0 अधिनियम 2017, की धारा 25 एवं तत्संबन्धी नियमावली के नियम 8 एवं 9 में व्यापारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने और अधिकारी द्वारा उसका निस्तारण किये जाने सम्बन्धी प्रकिया निर्धारित की गयी है। उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियमावली के अंतर्गत Form GST REG-01 पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप है जिसके Part A में व्यापारी द्वारा पैन कार्ड, ई–मेल का पता एवं मोबाइल नं0 अंकित किया जाना है जबकि Part B में Constitution of Bussiness यथा–स्वामित्व, पार्टनरशिप, कारोबार (Bussiness Place) के मुख्य स्थान आदि का विवरण अंकित किया जाना है जिसके प्रमाण स्वरूप स्वयं के परिसर के लिये, किराये या लीज के परिसर के लिए एवं अन्य के लिए प्रमाण पत्र निम्न प्रकार निर्धारित किये गये है :–

1–मुख्य स्थान के लिए, स्वयं के परिसर हेतु नवीनतम गृह/सम्पत्ति कर रसीद या नगर पालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति अपलोड करना आवश्यक है।

2–भाड़े या पट्टे पर लिए गये परिसर हेतु, किरायानामा अथवा लीज एग्रीमेण्ट एवं किरायेदार के स्वामित्व के प्रमाण हेतु नवीनतम गृह/सम्पत्ति कर रसीद या नगर पालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

3–अन्य मामलों में सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में नवीनतम गृह/सम्पत्ति कर रसीद या नगर पालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति अपलोड करना आवश्यक है। शेयर की गई सम्पत्ति (shared property) के लिये भी यही दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक हैं।

4–भाड़े या पट्टे पर लिये गये परिसर के लिये जहॉ किराया या लीज एग्रीमेण्ट उपलब्ध नहीं है वहॉ परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज यथा बिद्युत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शपथ पत्र अपलोड करना आवश्यक है।

5–विशेष आर्थिक जोन अथवा आर्थिक जोन के विकासकर्ता के मामलें में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बैक खाते से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिये पृथक–पृथक प्राधिकार पत्र अपलोड किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र GST REG-01 में उल्लिखित है।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलें में व्यापारी द्वारा अपने कारोबार के स्थान के प्रमाण के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर रसीद प्रस्तुत किये जाने पर भी विद्युत बिल की प्रति दाखिल न किये जाने के कारण पंजीयन निरस्त किये जाने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य का संज्ञान न लेते हुये प्रार्थना–पत्र निरस्तीकरण का समर्थन करते हुए आदेश पारित करने के कारण, प्रॉपर अधिकारी के विरूद्ध Cost award किया गया तथा आदेश पारित होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उचित आदेश पारित किये जाने के निर्देश देते हुये रिट याचिका निस्तारित की गयी है।

उपरोक्त के संदर्भ में यह निर्देश दिये जाते है कि पंजीयन प्रार्थना–पत्रों अथवा पंजीयन निरस्तीकरण के मामलों में प्रॉपर अधिकारी द्वारा जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 25, जी0एस0टी0 नियमावली के नियम 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधानों तथा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित रजिस्ट्रेशन फार्म में अंकित अभिलेखों तथा समय–समय पर पंजीयन के सम्बन्ध में जारी निर्देशों को ध्यान में रखकर पंजीयन दिये जाने अथवा पंजीयन रद्द किये जाने की कार्यवाही की जाये, जिससे पंजीयन प्राप्त करने में किसी व्यापारी का उत्पीड़न न हो तथा माननीय न्यायालय के समक्ष विभाग को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

23/12/2021

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।